भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3112

उत्तर देने की तारीख : 11.07.2019

एमएसएमई के लिए कर/प्रशुल्क छूट

3112. श्री मनोज तिवारीः
श्री विजय कुमार दूबेः
श्री संतोष कुमारः
श्री रेबती त्रीपुराः
श्री अनुराग शर्माः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का निकट भविष्य में बिहार, दिल्ली/एनसीआर, बुन्देलखण्ड क्षेत्र और उत्तर पूर्वी क्षेत्र सहित देश में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के लिए इच्छुक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को करों और प्रशुल्कों से छूट प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री

(श्री नितिन गडकरी)

(क) से (घ) : उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के पास माल और सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित इकाइयों को बजटीय सहायता प्रदान करने की एक योजना है। इस योजना के तहत औद्योगिक इकाइयों को केंद्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी) तथा एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी) के केंद्र सरकार के शेयर की जीएसटी प्रतिपूर्ति का लाभ प्रदान किया जाता है।

*****